झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–02

सप्तदश (मॉनसून) सत्र
सोमवार, दिनांक–29जुलाई, 2024 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 12.39 बजे अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकालः–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–
(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–32)

(क) उत्तरित कुल–02

i- अ०सू०–30	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स०वि०स०,
ii- अ०सू०–23	श्री भूषण तिर्की,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–30, अ०सू०–03 से अ०सू०–32 तक।

2.सूचना का दिया जानाः–

माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के टाटीझरिया में पुलिस पेट्रोलिंग दल द्वारा युवकों को खदेड़ने के क्रम में कुएँ में डूबकर एक लड़के की मृत्यु के लिए जिम्मेवार थाना प्रभारी पर कार्रवाई की माँग की।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अमर कुमार बाउरी ने डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार को जिम्मेवार ठहराने के साथ ही पाकुड़ के अदिवासी छात्रावास में पुलिस–प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट के लिए जिम्मेवार व्यक्ति पर यथाशीघ्र सरकार से कार्रवाई करने की माँग की।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने पूर्ववर्त्ती सरकारों को झारखण्ड के डेमोग्राफी में बदलाव के लिए जिम्मेवार ठहराया और कहा कि आनेवाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।

माननीय सदस्या, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा डेमोग्राफी विषय पर चर्चा के क्रम में आदिवासी महिलाओं पर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताते हुए अपनी नाराजगी प्रकट की और माफी माँगने की बात कही तथा इसपर अपने विचार व्यक्त किये।

माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने भी डेमोग्राफी पर अपने विचार रखते हुए पूर्ववर्त्ती सरकारों के कार्यकाल को जिम्मेवार ठहराया तथा इसपर अपने पक्ष को रखा।

(सदन में उत्पन्न व्यवधान के कारण 11.27 बजे पूर्वा० में आसन द्वारा सभा की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दिया गया।)

(अन्तराल के बाद)
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3.शून्यकाल की सूचनाएँ:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभाग को भेजने का निदेश आसन से दिया गया।

(माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन की अनुमति से व्यवस्था पर अपना विषय रखते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखण्ड को बाँटने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए इनके खिलाफ एक निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।)

4.वित्तीय–कार्य:–

आसन की अनुमति से वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष–2024–25 के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आनेवाले भारों के वहन के लिए **4,833,39,00,000/–(चार हजार, आठ सौ तैंतीस करोड़, उनचालीस लाख)** रूपये मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी सभा में उपस्थापित किया गया।

प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक–29 जुलाई, 2024 के 04.00 बजे अप० तक सभा सचिव को दे सकेंगे।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–30.07.2024 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–29 जुलाई, 2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।